



196

303

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

RS 301-

III/विग10/रीवा/भू-श0/2017/3683

वीनन्द विश्वकर्मा द्वारा
10-17

- 1- सुखीनन्द पिता रामकिशोर विश्वकर्मा, उम्र 48 वर्ष
 - 2- मंगलदीन पिता गंगादीन विश्वकर्मा, उम्र 65 वर्ष
- निवासी ग्राम रगौली डडिहा टोला, तहसील सेमरिया, जिला रीवा
(म0प्र0) —————आवेदकगण/निगरानीकर्ता

बनाम

- ✓ 1- रामनरेश पिता यज्ञनारायण ब्रा0,
- 2- जगदीश प्रसाद पिता चन्द्रभानराम ब्रा0
- ✓ 3- लक्ष्मण प्रसाद पिता यज्ञनारायण ब्रा0
- 4- दशरथ पिता मुण्डूराम ब्रा0,
- 5- मुस0 सखिया वेवा रामकुमार ब्रा0
- 6- दुर्गा प्रसाद पिता रामकुमार ब्रा0
- 7- रामानन्द पिता बाला प्रसाद ब्रा0
- 8- रामपाल पिता लल्लाराम ब्रा0
- 9- रामविश्वास पिता सुदर्शनराम ब्रा0
- 10- राजेन्द्र प्रसाद पिता जगदीश प्रसाद ब्रा0

सभी निवासी ग्राम रगौली डडिहा टोला, तहसील सेमरिया, जिला
रीवा (म0प्र0) —————अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
तहसीलदार महोदय, तहसील सेमरिया, जिला
रीवा म0प्र0, के राजस्व प्रकरण क0-119/
अ-27/13-14 में पारित आदेश दिनांक
07/09/2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व
संहिता

मान्यवर,

(Signature)

मंगलदीन विश्वकर्मा सुखीनन्द वि०

(Signature)

(196)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ


प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू-रा0 / 2017 / 03683

जिला-रीवा

सुखीनन्द विश्वकर्मा / रामनरेश ब्रा0

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार सिंह तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सेमरिया के प्रकरण क्रमांक 119/अ-27/2013-14में पारित आदेश दिनांक 07.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p>	




(बी.एम.शर्मा)
सदस्य

